ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

बरौनी ताप बिजली घर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

8640. **श्री राम विलास पासवान** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी ताप बिजलीघर में विभिन्न श्रेणी में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो शेष कौटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मामलों को अधिनिर्णय के लिए भेजना

8641. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बद्ध मंत्रालयों से स्वीकृति लिए बिना मामलों को अधिनिर्णय के लिए नहीं भेजता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय बिहार के हज़ारीबाग जिले के कोल फील्ड लेबर यूनियन द्वारा 1976 में उठाए गए मामले को अधिनिर्णय के लिए अब तक नहीं भेज सका है ; और

(ग) यदि उक्त भागों का उत्तर स्वीकारत्मक है तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) निर्धारित पद्धति के अनुसार, श्रम विभाग औधोगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विवाद (विवादों) को न्यायनिर्णयन के लिए भेजने से पहले उन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों से विचार—विमर्श करता है जिनके नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रम आते हैं । किसी मामले को न्याय-निर्णयन के लिए भेजा जाय या न भेजा जाय, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर श्रम विभाग द्वारा लिया जाता है । इस प्रक्रिया का अनुपालन करने से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लधंन नहीं होता ।

(ख) और (ग) 1976 में बिहार के हजारीबाग जिले की कोलफील्ड लेबर यूनियन ने कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाया था । तथापि, कुछ यूनियनों ने सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की कोलियरियों में 1976 में भूतपूर्व ठेकेदारों के फालतू हुए श्रमिकों को खपाने की माँग से सम्बन्यत औद्योगिक धिवाद उठाया था ।